रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938
No. 227] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/CHAITRA 11, 1938

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

सा.का.नि. 375(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रेणी I और श्रेणी II पद (भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त का कार्यालय) भर्ती नियम, 1962 को, जहां तक उसका संबंध भाषाजात अल्पसंख्यक सहायक आयुक्त के पद से है, उन बातों के सिवाय विखंडन करते हुए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करते हैं।

[फा.सं. 3–13/2014–सीएलएम]
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पणः– मूल नियम, भारत के राजपत्र में 1962 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सां.का.नि. 2329, तारीख 16 सितंबर, 1975 द्वारा संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

**G.S.R 375(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the Class I and Class II Posts (Office of the Commissioner for Linguistic Minorities) Recruitment Rules, 1962, in so far as it relate to the post of Assistant Commissioner for Linguistic Minorities, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 3-13/2014-CLM]
RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India in 1962 and subsequently amended vide notification number G.S.R.2329 dated 6th September, 1975.

1583 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.